न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कुचामनसिटी

बइजलास– राकेश कुमार गुप्ता, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 36/2023 — जीसीएमएस संख्या– 2023/132

अपीलान्ट	रेस्पोडेन्ट्स
1. जगदीश प्रसाद रूहेला पुत्र स्व. श्री नोलाराम जाति जाट निवारी ग्राम डूंगरबास तहरील लक्ष्मणगढ जिला सीकर।	1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांवा। 2. शान्ति देवी पत्नी श्री गोपालराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी विजय सागर ग्राम गढ़ टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)।

उपस्थित अधिवक्ता:–
1. श्री सुधीर कौशिक अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री अशोक पुरी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।
3. राज पैरोकार नायब तहसीलदार नावां राज. सरकार की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण आदेश 2334 स्वीकृत दिनांक 11.11.2019 तहसीलदार नावां

निर्णय

दिनांक :–09/09/2025

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत, निर्णय/आदेश नामान्तरकरण 2334 दिनांक 11.11.2019 द्वारा तहसीलदार नावां के विरूद्ध पेश की है।
2. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है अपीलार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त का खेत खसरा सं० 30 रकबा 3.900 हैक्टेयर किस्म बारानी 2 सरहद नांवा में अवस्थित है। उक्त खेत खसरा की खातेदारी बाबत श्रीमान् ए.डी.एम. साहब, डीडवाना के न्यायालय में नामान्तकरण अपील प्रकरण सं0 371/2018 बअनुवान सुधीर कुमार चौधरी विरूद्ध माला देवी चौधरी वगैराह के नाम से विचाराधीन है, जिसमें श्रीमान् न्यायालय हाजा द्वारा दिंनाक 23.07.2018 की आदेशिका द्वारा मौके की स्थिति व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति आगामी आदेशों तक बनायी रखी जावें का स्थगन आदेश पारित किया हुआ है, जो वर्तमान स्थिति / समय में [illegible] पारित [illegible] प्रभावी होने के कारण विवादित नामान्तकरण की स्वीकृति दिनाक को उक्त [illegible] प्रभावशील है। एवम् श्रीमान् न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के [illegible] Rivision/LR/6160/2018/Nawa

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:26 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

बआनुवान कमल प्रभा वगैराह विरूद्ध सुधीर कुमार वगैराह में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 16.10.2018 से स्थगन आदेश दिनांक 23.07.2018 को अन्य आदेश पारित नहीं किये जाने तक जारी रखते हुए पक्षकारों पर नोटिस जारी किये जाने का आदेश पारित किया है। उपरोक्त स्थगन आदेशों कि अवधि मध्य श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, नांवा ने मुकदमा सं० 94/17 धारा 251ए में पारित निर्णय अनुसार गै० मुमकिन कटाणी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश दिनांक 14/12/17 को पारित किया। जिसकी पालना में तहसीलदार नांवा द्वारा जारी आदेश क्रमांक/मु० नं० 629 दिनांक 17.10.2019 की पालना में नामान्तकरण संख्या 2334 दिनांक 05.11.2019 की प्रविष्टि करने पर श्रीमान् तहसीलदार साहब, नांवा द्वारा दिनांक 11.11.2019 को स्वीकृत किया गया, उक्त विवादित नामान्तकरण उपरोक्त स्थगन आदेश के विरूद्ध है एवम् प्रकरण के विचाराधीन अवस्था एवम् स्थगन आदेश की प्रभावी स्थिति में विवादित नामान्तकरण स्वीकृत किया जाने पर सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 के अधिकार ही आकर्षित होते है। इसलिए भी विवादित नामान्तकरण निरस्तनीय है।

3. अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है कि :-

1) यह है कि अपीलार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत खसरा संख्या 30 वर्तमान खसरा सं0 2554/30 रकबा 3. 8776 बारानी 2 एवम् खसरा सं0 2563/30 रकबा 0.0224 गै० मु० रास्ता जो श्रीमान् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नांवा में विचाराधीन मु० सं० 52/2014 बआनुवान माणकचन्द बनाम सरकार निर्णय दिनांक 17.07.2018 के वक्त उक्त खसरा एक ही खसरा सं० 30 था, जिसकी खातेदारी बाबत अपीलार्थी को खातेदारी अधिकार सुपुर्द करने वाले विक्रेतागण कमल प्रभा पत्नी माणकचन्द, निर्मल पुत्र माणकचन्द, प्रवीन पुत्र माणकचन्द व रमेश पुत्र माणकचन्द जाति सरावगी निवासी अजमेर का राजस्व प्रकरण घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती का चल रहा था जिसमें निर्णय दिनांक 17.07.2018 से उक्त कमल प्रभा वगै० को खातेदारी प्राप्त हुई।

कि प्रकरण सं0 94/2017 जो उपरोक्त वाद-पत्र सं० 52/2014 के बाद में संस्थित किया गया था, लेकिन अपीलार्थी की भूमि में हित रखने वाले वाद-पत्र संख्या 52/2014 के वादी को पक्षकार नहीं बनाया गया और उनकी अनुपस्थिति में ही प्रार्थना-पत्र संख्या 94/2017 को सुना जाकर निर्णित किया गया, जो वाद-पत्र संख्या 52/2014 को वादी पक्षकार वर्तमान अपीलार्थी के खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

2) यह है कि राजस्व प्रकरण सं0 52/2014 के निर्णय दिनांक 17.07.18 से नामान्तकरण सं0 472 दिनांक 04.10.72 की दुरूस्ती अनुसार नामान्तकरण सं0 2258 दिनांक 20.07.18 से कमल प्रभा पत्नी माणकचन्द वगैराह की खातेदारी दर्ज हो गयी थी। और रास्ता प्रकरण सं० 94/2017 के अप्रार्थी पक्षकार मैनका जैन वगैराह की खातेदारी निरस्त हो चुकी है और उसके स्थान पर कमल प्रभा वगैराह की खातेदारी दर्ज हो चुकी है। इसके [illegible] साहब, नांवा ने वर्तमान खातेदारों की सुनवाई का अवसर दिये बिना [illegible] नामान्तकरण सं0 2334 दिनांक 05.11.2019 को दिनांक 11.11.2019 को स्वीकृत किया है, जो न्याय के सर्वमान्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कुचामन सिटी

सिद्धान्त को ताक में रखकर स्वीकृत किया। कानूनी रूप से रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार का आदेश पारित किया जाता है या उसके अधिकार में दखल दिया जाता है तो उक्त आदेश पारित करने से पूर्व रिकॉर्डेड खातेदार को सूचित करना एवम् उसको सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक होता है। लेकिन श्रीमान् तहसीलदार साहब, नांवा ने अपीलार्थी को रिकॉर्डेड खातेदार होने के उपरान्त सुनवाई का अवसर दिया जाने के अभाव में एवम् किसी भी प्रकार से स्वयं का माईण्ड अपलाई किये बिना ही एवम् बिना जाँच के उक्त विवादित नामान्तकरण स्वीकार करने में कानूनी भूल की है। जो ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया ही उक्त विवादित नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

3) यह है कि नामान्तकरण भरने से पूर्व मौके की स्थिति की जॉच करना एवम् रेकर्ड की स्थिति की जाँच करना आवश्यक होता है। पटवारी हल्का एवम् भू–अभिलेख निरीक्षक ने किसी भी प्रकार की मौके पर आकर रास्ते बाबत जॉच नहीं की और न ही उक्त विवादित खसरा सं० 30 के रेकर्ड में आ रही विभेदता के बाबत श्रीमान् तहसीलदार साहब, नांवा ने जाँच की और बिना किसी श्रम (हार्डवर्क) के मौके पर रास्ता नहीं होते हुये भी जैर अपील नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। जो विधि विरूद्ध रूप से स्वीकृत किया गया होने से निरस्तनीय है।

4) यह है कि तहसीलदार साहब, नांवा ने अपीलार्थी के रिकॉर्डेड खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध जाकर उसके खातेदारी अधिकारों में हस्तक्षेप करते हुए रास्ता घोषित कर खातेदारी भूमि को कम करते हुए विवादित नामान्तकरण स्वीकृत किया है, जो विधि विरूद्ध रूप से स्वीकृत किया गया होने से निरस्तनीय है। जबकि उक्त रास्ता कभी चलन में नहीं रहा है।

5) यह है कि प्रार्थना–पत्र सं० 94/2017 धारा 251ए आर.टी. एक्ट बअनुवान शान्ति देवी बनाम मैनका जैन वगैराह की प्रार्थीया / प्रत्यर्थीगण सं० 2 शान्ति देवी ने मिलीभगत व सांठगांठ करते हुये राजस्व कर्मचारियों व श्रीमान् तहसीलदार साहब, नांवा ने अपीलार्थी के खातेदारी अधिकारों को हमेशा के लिए कम करते हुए श्रीमान् ए.डी.एम. साहब, डीडवाना व श्रीमान् न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर के क्रमशः आदेश दिनाक 23.02.2018 व दिंनाक 16.10.2018 के स्थगन अदेश के उपरान्त गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर बिना विधिवत सुनवाई के रास्ता अंकित करते हुए राजस्व व काश्तकारी अधिकारों एवम् उपबन्धों व नियमों के विरूद्ध जाकर उक्त विवादित नामान्तकरण स्वीकृत किया है। जो न्याय के सर्व मान्य सिद्धान्तों को ताक में रख कर किया गया है। जो निरस्तनीय है।

6) यह है कि विवादित नामान्तकरण आदेश की अपीलार्थी को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी, दिंनाक 01.03.2020 को पड़ौसी द्वारा बताया गया कि आपके खेत में रास्ते का नामान्तकरण हो गया है, अब उक्त रास्ता खुलवायेगें, तब जानकारी कर अपीलार्थी ने दिंनाक 03.03.2020 को जानकारी कर संबंधित राजस्व रेकर्ड की नकल दिंनाक 05.03.2020 को प्राप्त करने से [illegible] उक्त विवादित नामान्तकरण की जानकारी हुई। तत्पश्चात [illegible] कानूनी राय लेकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कुचामन सिटी

उक्त अपील तैयार करवाई, जो जानकारी एवम् प्रमाणित नकल प्राप्ति दिनाक से लेकर वर्तमान में चल रही कोरोना बिमारी के कारण सरकार द्वारा जारी लॉक डाउन की प्रक्रिया के चलते आज अपील प्रस्तुती दिनाक तक अन्दर मियाद पेश है। सुरक्षा हेतु अलग से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का आवेदन पत्र अपील के साथ पेश है।

अतः अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर विवादित नामान्तकरण संख्या 2334 दिनाक 11.11.2018 को निरस्त फरमाया जावें।

4. उक्त नामान्तरकरण आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 25.06.2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 02.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया।

5. प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के संबध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपील के मियाद में होने के सम्बन्ध में विवेचन है कि तहसीलदार नावां द्वारा नामान्तरकरण आदेश दिनांक 11.11.2019 स्वीकृत किया गया। जिसकी अपील अपीलान्ट/अप्रार्थी ने दिनांक 08.02.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की। अपील देरी से प्रस्तुत करने को लेकर मियाद हेतु प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथनों पर विचार किया जाकर न्यायहित में अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील की मेरिट पर सुनवाई की जानी उचित है।

6. अधिवक्ता अपीलांट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जो निम्नवत हैं।

- इसी दौरान तहसीलदार नावां द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2334 दिनांक 11.11.2019 से व्यथित होकर व उक्त नामान्तरकरण को अपास्त करने हेतु अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील संख्या 36/2023 (22/2020) ब–उनवान जगदीश प्रसाद रूहेला बनाम तहसीलदार नावां वगैरह श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी।
- श्रीमान अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार नावां द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण संख्या 2334 के सम्बन्ध में एक पुनरावलोकन प्रार्थना–पत्र (Review Application) अंतर्गत धारा 86 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 श्रीमान तहसीलदार महोदय नावां के समक्ष भी दिनांक 06–01–2020 प्रस्तुत की गयी थी।
- उक्त पुनरावलोकन प्रार्थना–पत्र (Review Application) बाद सुनवाई तहसीलदार नावां ने स्वीकार कर उक्त नामान्तरकरण संख्या 2334 के पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश प्रदान कर दिए एवं आदेश क्रमांकरीडर/2020/24 दिनांक 17.01.2020 के द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 2334 के पूर्व की स्थिति बहाल करने हेतु राजस्व कार्मिकों को निर्देशित कर दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:26 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सुजामन सिटी

- तहसीलदार साहब, नांवा ने अपीलार्थी के अभिलिखित खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध जाकर उसके खातेदारी अधिकारों में हस्तक्षेप करते हुए रास्ता घोषित कर खातेदारी भूमि को कम करते हुए विवादित नामान्तकरण स्वीकृत किया था, जो विधि विरूद्ध रूप से स्वीकृत किया गया होने से निरस्तनीय था, जबकि उक्त रास्ता कभी चलन में नहीं रहा है।
- श्रीमान तहसीलदार नावां द्वारा उक्त पुनरावलोकन प्रार्थना–पत्र (Review Application) में सुनवाई के बाद तथ्यों को पुनः परखते हुए आदेश क्रमांक रीडर/2020/24 दिनांक 17.01.2020 के द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 2334 के पूर्व की स्थिति बहाल करने हेतु पुनरावलोकन प्रार्थना–पत्र को निर्णित कर पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया तथा पुनरावलोकन प्रार्थना–पत्र स्वीकार होने से उक्त अपील औचित्य हीन है।
- उक्त नामान्तरकरण संख्या 2334 के पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश पारित होने के बावजूद भी आज दिनांक तक राजस्व कार्मिकों द्वारा अभिलेख में पूर्व स्थिति बहाल नहीं की है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार कर तहसीलदार नावां द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.01.2020 की पालना राजस्व अभिलेख में पूर्व स्थिति दर्ज करवाया जाना सुनिश्चित करवाए।

7. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा भी लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जो निम्नवत हैं।

निवेदन है कि अपील हाजा के शुरू में वर्णित कथन जिस प्रकार अंकित किये गये है, औचित्यहीन व गलत अंकित किये गये है जो स्वीकार नही है। **वास्तविकता यह है कि** प्रत्यार्थीया–शान्ति देवी ने माननीय अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नांवा सिटी नागौर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उनवानी शांति देवी बनाम् मैनका जैन मुकदमा नम्बर 94/2017 प्रस्तुत किया गया जिसमें दिनांक 24–10–17 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर भू–अभिलेख नांवा को मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गयी एवं दिनांक 14–12–17 को अप्रार्थी संख्या–1 व 2 की ओर से वकील श्री राजेश कुमार गुर्जर ने वकालतनामा पेश किया। जबाब पेश नही करने पर जबाब बंद किया गया एवं शेष अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहे जिनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी एवं मौका रिपोर्ट भू–अभिलेख नांवा द्वारा प्रस्तुत की गयी एवं प्रकरण में विधिवत सुनवाई फरमायी जाकर बाद बहस "निर्णय दिनांक 14–12–17 को पारित फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम नांवा के खसरा नम्बर 29 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 30 रक्बा 3.90 हैक्टर में से पूर्वी सीव पर उत्तर–दक्षिण 28 मीटर लम्बाई व 8 मीटर चौड़ाई में तथा खसरा नम्बर 2446/29 रक्वा 0.8667 हैक्टर में पूर्वी सींव पर उत्तर दक्षिण 12 मीटर लम्बाई व 8 मीटर चौड़ाई में मौका रिपोर्ट में वर्णित ए से बी खातेदारी से कम कर गै.मु. कटाणी राजकीय रास्ता घोपित किया गया एवं खसरा नम्बर 2446/29 में से रास्ते में गई भूमि व खसरा नम्बर 30 में से ग[illegible] डी.एल.सी. दर से दो गुणा राशि मुआवजा अप्रार्थीगण को देय की जाकर एवं [illegible] नांवा को आदेश दिया गया कि वर्तमान डी.एल.सी. दर से [illegible] करते हुये [illegible] राशि प्रार्थीनी से वसूल कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कुचामन सिटी

अप्रार्थीगण को जमाबंदी में दर्ज हक हिस्से अनुसार भुगतान कर घोषित रास्ते का राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करे।" माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा ने उक्त निर्णय की पालना बाबत तहसीलदार नांवा को आदेश कमांक/रीडर/2017/877 दिनांक 14–12–17 जारी किया गया जिस पर तहसीलदार नांवा ने निर्णय दिनांक 14–12–17 की पालना में जरिये डीडी कमांक 902790 दिनांक 5–11–2019 को राशि 1,17,450/– रूपये राजकोष में जमा किये गये एवं नियमानुसार विधिवत तरीके से नामान्तकरण संख्या–2334 दिनांक 05–11–2019 को पटवारी हल्का नांवा से भरवाकर एवं दिनांक 6–11–2019 को भू–अभिलेख निरीक्षक नांवा से जांच रिपोर्ट तैयार करवाकर विधिवत तरीके से दिनांक 11–11–2019 को नामान्तकरण स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में गै.मु. कटानी रास्ता दर्ज किया जाकर राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किया गया एवं मौके पर रास्ता चालू करवाया जाकर रास्ता से आवागमन सुचारू चालू करवा दिया गया जिसके फोटो ग्राफ मौजूद है एवं **यहां यह उल्लेखनीय है कि** माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा के निर्णय दिनांक 14–12–2017 के विरूद्व अपीलार्थी–जगदीश प्रसाद रूहेला द्वारा अपील संख्या–33/2018/225/ नांवा उनवानी जगदीश प्रसाद रूहेला बनाम् शांति देवी व अन्य प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 11–10–2019 को खारिज फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा के निर्णय–आदेश दिनांक 14–12–2017 प्रकरण राजस्व संख्या–94/2017 को यथावत रखा गया इसके उपरान्त अपीलार्थी–जगदीश प्रसाद रूहेला ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी नागौर के अपील निर्णय दिनांक 11–10–2019 के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी/टी. ए/6377/2019/जिला नागौर उनवानी जगदीश प्रसाद रूहेला बनाम् शांति देवी व अन्य प्रस्तुत की गयी जिसमें स्थगन आवेदन पत्र में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 15–11–19 को आदेश पारित फरमाया गया कि राजस्व अपील अधिकारी नागौर के निर्णय दिनांक 11–10–19 में अंकित विवादग्रस्त आराजी में यदि रास्ता खोला गया है तो नही रोके तथा उभय पक्ष आगामी पेशी तक आज के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे।

निवेदन है एवं यहां यह महत्वपूर्ण तथ्य उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी–जगदीश प्रसाद रूहेला द्वारा श्रीमान् तहसीलदार नांवा के समक्ष दिनांक 30–12–19 को एक गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार नांवा द्वारा दिनांक 17–1–20 को अवैध व अनुचित आदेश नामान्तकरण संख्या 2334 खसरा नम्बर 11, 12, 13, 9 व 30 में किये गये नामान्तकरण आदेश का पुनरावलोकन करते हुये पटवारी हल्का को आदेश जारी हो कि पूर्व की स्थिति बहाल करे, जिससे व्यथित होकर प्रत्यार्थीया–शांति देवी ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन निगरानी/टी. ए/6377/2019/ जिला नागौर उनवानी जगदीश प्रसाद रूहेला बनाम् शांति देवी व अन्य में एक प्रार्थना पत्र दिनांक [illegible]–2020 को वास्तविक तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया गया जिस पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा आदेश कमांक एलआर/[illegible]/2020/3567/[illegible]/12/11/20/6719 दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कुचामन सिटी

7–10–2020 जारी किया जाकर तहसीलदार नांवा से निर्णय दिनांक 17–01–2020 से संबंधित पत्रावली तलब फरमायी गयी एवं निगरानी/टी.ए/6377/2019/जिला नागौर उनवानी जगदीश प्रसाद रूहेला बनाम् शांति देवी व अन्य माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन चल रही है।

निवेदन है एवं यहां यह महत्वपूर्ण तथ्य उल्लेखनीय है कि जमाबंदी संवत 2075–2078 में नोटः नामान्तकरण संख्या–275 दिनांक से दिनांक 21–1–2020 को खसरा नम्बर 2551/2446, 2553/30 सभी काश्तकार पर कार्यालय तहसीलदार भू. नांवा के आदेश क./भू.अ./654 दिनांक 20–01–2020 की पालना में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेशानुसार खसरा नं. 2551/2446, 2553/30, 2554/30 व 2552/2446 पर मौका व रिकार्ड की यथास्थिति का नोट दर्ज किया जा चुका था।

निवेदन है कि अपीलार्थी–जगदीश प्रसाद रूहेला ने 2020 कोरोना काल का नाजायज फायदा उठाते हुये माननीय रेवन्यु बोर्ड राजस्थान अजमेर के आदेश की जानबूझकर खुल्लम खुल्ला अवेहलना करते हुये प्रत्यार्थीया के आवागमन का रास्ता जो चालू था एवं आवागमन चला आ रहा था उसको कोरोना काल में जे.सी.बी मशीन से अवैध तरीके से खाई खुदवाकर मिट्टी की अस्थायी डोल लगाकर रास्ता को अवरूद्ध कर दिया गया एवं प्रत्यार्थीया को रास्ता जैसी मूलभूत आवश्यकता से महरूम कर दिया गया जिस पर प्रत्यार्थीया–शांति देवी ने श्रीमान् तहसीलदार महोदय नांवा के समक्ष दिनांक 7–1–2020 को प्रार्थना पत्र रास्ता से अवरोध हटवाया जाकर सुचारू चालू करवाने बाबत प्रस्तुत किया गया जिस पर पटवारी हल्का को आदेश कमांक–/राजस्व/2020/07 दिनांक 7–1–2020 जारी किया गया परन्तु कोई कार्यवाही नही की गयी जिससे प्रत्यार्थीया के हितो पर कुठाराघात हो रहा है एवं यहां यह महत्वपूर्ण तथ्य उल्लेखनीय है कि रास्ता जैसी मूलभूत आवश्यकता पर किसी प्रकार का स्थगन प्रभावी नही होता है इसके बावजूद भी आज दिनांक तक तहसीलदार नांवा द्वारा गै.मु. रास्ता से अवरोध हटाया जाकर रास्ता को सुचारू चालू नही करवाया गया है। जिससे प्रत्यार्थीया को अकथनीय क्षति हो रही है। प्रत्यार्थीया ने अपनी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि में फसल काश्त कर रखी है एवं ट्यूब बैल बना रखा है एवं सिंचाई कर रही है, मकान बनाकर मय परिवार रिहायश कर रही है परन्तु रास्ता में अवरोध कारित कर दिये जाने से गंभीर परेशानी हो रही है।

निवेदन है कि अपीलार्थी–जगदीश प्रसाद रूहेला ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपील गलत आधारो पर मियाद बाधित पेश की गयी है जो प्रथम दृष्टवा ही पोषणीय नही होकर खारिज होने योग्य है।

निवेदन है कि नामान्तकरण नियमानुसार विधिवत प्रक्रिया अपनाकर माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा के निर्णय दिनांक 14–12–17 की पालना में भरा जाकर तस्दीक किया गया [illegible] अपीलार्थी को कोई अधिकार किसी किस्म का नही है। इसलिए अपील पे[illegible]य [illegible] होकर खारिज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कुचामन सिटी

निवेदन है कि अपीलार्थी–जगदीश प्रसाद रूहेला ने नामान्तकरण संख्या–2334 दिनांक 11–11–2019 की बाबत अपील दिनांक 25–6–2020 को मियाद बाधित प्रस्तुत की गयी है जो चलने योग्य नही होकर प्रथम दृष्टवा ही खारिज होने योग्य है। अपील हाजा में कोरोना का तथ्य अंकित किया गया है जबकि दिनांक 11–11–2019 के बाद अपीलार्थी के पास काफी समय लॉक डाउन लगने से पूर्व था परन्तु अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत नही की गयी है लॉक डाउन कई महिने बाद लगा था इसलिए अपील पोषणीय नही होकर खारिज होने योग्य है। अपील में देरी का कोई वास्तविक कारण अंकित नही किया गया है।

निवेदन है कि अपीलार्थी–जगदीश प्रसाद रूहेला ने उक्त अपील मियाद बाधित केवल मात्र प्रत्यार्थीया–शांति देवी को नाजायज हैरान परेशान करने एवं अपीलार्थी–जगदीश प्रसाद रूहेला द्वारा प्रत्यार्थीया–शांति देवी के आवागमन के रास्ता में बाधा कारित करने की बदनियति से पेश किया गया है जो चलने योग्य नही होकर खारिज होने योग्य है।

निवेदन है कि यहां यह महत्वपूर्ण तथ्य उल्लेखनीय है कि प्रत्यार्थीया–शांति देवी ने माननीय अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नांवा सिटी नागौर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उनवानी शांति देवी बनाम् मैनका जैन मुकदमा नम्बर 94/2017 प्रस्तुत किया गया था जिसमें रास्ता भूमि के खातेदार काश्तकार मैनका जैन वगैरह थे जो माननीय न्यायालय में वकील नियुक्त कर उपस्थित हुये थे। इसलिए निर्णय व आदेश माननीय अदालत उपखण्ड अधिकारी नांवा ने विधिवत सुनवाई करके पारित फरमाया गया था। अपीलार्थी–जगदीश प्रसाद रूहेला भूमि का विक्रय लेख अवैधानिक तरीके से स्वयं मुख्तार बनकर अर्थात विक्रेता एवं केता स्वयं ही बनकर एवं स्वयं के हक में ही भूमि का विक्रय लेख अवैध तरीके से करवाकर खातेदार दर्ज हुआ है एवं प्रत्यार्थीया–शांति देवी को नाजायज हैरान परेशान करने की बदनियति से नये नये हथकण्डे अपनाकर झूठे मुकदमें बाजी प्रस्तुत कर रहा है एवं प्रत्यार्थीया को रास्ता जैसी मूलभूत आवश्यकता से महरूम करना चाहता है जबकि माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया हुआ है कि किसी व्यक्ति को रास्ता जैसी मूलभूत आवश्यकता से महरूम नही किया जा सकता है इसलिए अपील अपीलार्थी प्रथम दृष्टवा ही पोषणीय नही होकर खारिज होने योग्य है।

निवेदन है कि अपीलार्थी–जगदीश प्रसाद रूहेला अपील हाजा में जिन तथाकथित वाद व प्रार्थना पत्रादि ब उनवानी माणकचन्द बनाम् सरकार का उल्लेख करके आ रहा है उनमें अपीलार्थी–जगदीश प्रसाद रूहेला का कोई संबंध या सरोकार नही है, ना ही अपीलार्थी–जगदीश प्रसाद रूहेला तथाकथित वाद व प्रार्थना पत्रादि में किसी प्रकार से पक्षकार ही है। इसलिए अपील आधारहीन–बैसलैस प्रस्तुत की गयी है जो प्रथम दृष्टवा ही पोपणीय नही होकर खारिज होने योग्य है। निवेदन है कि अन्य तर्क वक्त बहस बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः लिखित [illegible] प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी–जगदीश प्रसाद रूहेला सव्यय [illegible] फरमायी जाकर खारिज फरमायी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:26 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कुचामन सिटी

8. आज पैरोकार नायब तहसीलदार नावां की बहस सुनी गयी। दोनो पक्षों की लिखित एवं मौखिक बहस सुनी गयी।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों, दोनों पक्षों के तर्कों और माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा इसी प्रकरण से संबंधित विभिन्न याचिकाओं में पारित निर्णयों का गहनता से अवलोकन किया गया। उपरोक्त विश्लेषण से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि जिस रास्ते के लिए यह नामान्तरकरण किया गया है, उसका मूल आदेश उपखण्ड अधिकारी, नावां द्वारा दिनांक 14.12.2017 को पारित किया गया था। वह आदेश न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत राजस्व अपील अधिकारी और माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर तक सही ठहराया जा चुका है। अतः रास्ते की वैधता और अस्तित्व पर अब इस स्तर पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल ने भी अपने निर्णय में स्थापित किया है, अपीलार्थी ने विवादित भूमि को तब क्रय किया जब रास्ते का आदेश पारित हो चुका था। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि क्रेता, विक्रेता से बेहतर स्वत्व (title) प्राप्त नहीं कर सकता। चूँकि विक्रेता का स्वत्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) के आदेश के अधीन था, अतः अपीलार्थी को भी भूमि उसी शर्त के साथ प्राप्त हुई है।

अपीलार्थी स्वयं द्वारा कथित स्टे अवधि के दौरान जमीन क्रय की गयी एवं उस भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जब प्रार्थी पक्ष स्वयं किसी विधिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो उसे अप्रार्थी पक्ष पर उसी कर्तव्य के उल्लंघन का आरोप लगाने का अधिकार नहीं होता है। प्रकरण में "क्लीन हैंड्स" (स्वच्छ हाथ) के सिद्धांत से प्रभावित होने के कारण अपीलान्ट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं है। अपीलार्थी ने अपील पेश करते समय मूल तथ्यों को छुपाकर पेश किया एवं उन्हीं मुद्दों की पैरवी कर रहा है जो न्यायालय राजस्व मण्डल तक निर्णीत हो चुके हैं।

—:आदेश:—

उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(राकेश कुमार गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

निर्णय आज दिनांक 09.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुहर से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:26 IST
Reason: SelfAttested